from various State Electricity Boards is Rs. 465.80 crores as on 31.5.1994.

The Power Houses concerned have been repeatedly requested to clear the outstanding dues. Dues from some of the State Electricity Boards are also being recovered from the Central Plan Assistance scheme. State Electricity Boards have also been requested to consider adoption of the scheme of advance payment of freight at destination for coal booked to them.

Damage of railway property due to economic blocade in Bihar

3994. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the extent of damage, if any, caused to the Railways during the rcent economic blocade in the tribal areas in Bihar; and

(b) the steps taken, generally to save Railway property in future under similar disturbances?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) The details are as under:—

Year	Damage to Railway property in Rs. approximately
1992-93	18.00 lakhs
1993-94	8.40 lakhs
1994-95 (upto June)	—

(b) Close liaison is maintained with the state Police authorities to deal with the situation and to prevent damage to Railway property. Guarding of vulnerable points and vital installations, patrolling of tracks, armed picketing in between two stations by the side of railway lines round the clock are undertaken. In addition, pilot engines under armed guards are sent ahead of important trains. Patrolling by trollies, motor trollies and tower wagons is also taken up extensively.

दिल्ली की रिंग रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री

3995. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की रिंग रेलवे में प्रतिदिन औसतन कितने यात्री यात्रा करते हैं;

(ख) क्या यह संख्या नगण्य है; और

(ग) दिल्ली की रिंग रेलवे में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़): (क) दिल्ली रिंग रेलवे पर प्रतिदिन औसतन लगभग 8500 यात्री यात्रा करते हैं।

(ख) जी, हाँ

(ग) रेलें दिल्ली रिंग रेलवे पर सेवाएं बढ़ाने के लिए तैयार हैं जिससे हजरत निजामुद्दीन और पटेल नगर के बीच दक्षिणी रिंग पर लगभग प्रत्येक 20 मिनट के अन्तराल पर (सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान) सेवा की व्यवस्था हो सकेगी।

Railway Line between Ambala to Narain garh

3996. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a persistent demand for a Railway line from Ambala to Naraingarh, a distance of 40 Km. in Haryana;

(b) whether it is also a fact that the inhabitants are facing tremendous difficulties for want of train service in this area;

(c) whether Government have made any efforts to carry out survey work for construction of Railway line keeping in view the necessity thereof; and

(d) if so, what effective steps Government propose to take to give relief to people of Naraingarh and the adjoining areas?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) No, Sir.

(b) Naraingarh is connected to Ambala by a good road having a regular bus service to Ambala City and Cantt. from where the train services to all parts of the country can be availed.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

3997. चौधरी हरमोहन सिंह:
श्री आस मोहम्मद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिलावार कितने व्यक्तियों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की गई है

और ऐसी नियुक्ति के लिए कितने मामले अभी भी लंबित है; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों की शीघ्र नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़): (क) ब्यौरा इस प्रकार है:

क्षेत्रीय रेलवे का नाम	वर्ष 91-92, 92-93 और 93-94 के दौरान अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	30.6.94 को ऐसी नियुक्तियों के लिए लंबित मामलों की संख्या
मध्य	3337	495
पूर्व	4979	953
उत्तर	4732	262
पूर्वोत्तर	1577	961
पूर्वोत्तर सीमा	996	1586
दक्षिण	2194	624
दक्षिण मध्य	2363	1229
दक्षिण पूर्व	5731	554
पश्चिम	3143	361

(ख) अनुकंपा के आधार पर पात्र और उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्तियां की जाती है जो उपयुक्त निरिक्तयों की उपब्धता पर निर्भर करती है। बहरहाल, विभिन्न कारणों यथा आश्रितों के नाबालिग होने, अदालतों में लंबित न्यायिक मामलों और विशेषत: अनपढ़ विधवाओं के लिए उपयुक्त रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण विलंब होता है। इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को सभी पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सभी संभव प्रयास करने के अनुदेश दिए गए है। विधवाओं को यथा संभव अधिक नियुक्त करने के लिए विभिन्न विभागों में नौकरियों की कतिपय कोटियों की पहचान की गई है।

अनारक्षित डिब्बों में कुलियों द्वारा सीटों पर कब्जा किया जाना

3998. **श्री आस मोहम्मद:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे स्टेशनों पर कुली अनारक्षित डिब्बों में सीटों पर कजा कर लेते हैं और यात्रियों से पैसे लेकर सीटें देते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेलवे स्टेशनों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त इन कुलियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़): (क) और (ख) जी, हाँ। पिछले दो वर्षों के दौरान बम्बई वी.टी., दादर, कुर्ला, मनमाड, भुसावल, मद्रास एलम्बूर, हवड़ा, रतलाम, इंदौर तथा दिल्ली में लाइसेंस शुदा भारिकों के विरुद्ध कुल दस शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए भारिकों के लाइसेंस बिल्ले, रद्द/समाप्त कर दिए जाते हैं।

भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए पार्सल कर्मचारी

3999. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार कितने पार्सल कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गये हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़): (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रेलवे	कर्मचारियों की संख्या
मध्य	294
पूर्व	86
उत्तर	641
पूर्वोत्तर	106
पूर्वोत्तर सीमा	159
दक्षिण	181
दक्षिण मध्य	72
दक्षिण पूर्व	370
पश्चिम	578
जोड़:	2487

(ख) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

रेलवे	बड़ी शास्ती	छोटी शास्ती
मध्य	26	268
पूर्व	18	68
उत्तर	58	583
पूर्वोत्तर	2	104
पूर्वोत्तर सीमा	14	145
दक्षिण	29	152
दक्षिण मध्य	5	67
दक्षिण पूर्व	24	346
पश्चिम	48	530
जोड़	224	2263